

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 वेबसाइट: www.aicte-india.org



अनुमोदन प्रक्रिया 2025-26

अनुमोदन पत्र (एलओए)

फा. सं. North-West /2025-26/1-45033929607

अनुमोदन की तिथि: 31-Jul-2025

सेवा में,

वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव (तकनीकी)

हरियाणा सरकार

कमरा नं. 503/5,

सेक्टर-17 नया सचिवालय,

चंडीगढ़-160017

विषय: नए संस्थान के लिए अनुमोदन पत्र 2025-26

महोदय/महोदया,

दिनांक 4 फरवरी, 2020 को अधिसूचित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थानों के लिए अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, और 24 फरवरी 2021 को संशोधित किए गए और 'यथा लागू' एवं समय-समय पर प्रकाशित हुई अन्य अधिसूचनाओं के सन्दर्भ में मुझे निम्न अनुमोदन से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

स्थायी आईडी	1-45033929607	आवेदन आईडी	1-45033929607
संस्थान का नाम	SHRI GURU TEG BAHADUR JI GOVT COLLEGE TARAORI KARNAL	संस्थान का पता	SHRI GURU TEG BAHADUR JI GOVT. COLLEGE, TARAORI , KARNAL, NEAR ITI, TARAORI, KARNAL, , KARNAL, HARYANA 132116, TARAORI, KARNAL, Haryana, 132116
संस्थान का प्रकार	Government	क्षेत्र	North-West

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नीचे दिए गए प्रवेश क्षमता के साथ निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए*

क्रम संख्या	स्तर	कार्यक्रम	पाठ्यक्रम	संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय/बोर्ड	वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	UNDER GRADUATE	COMPUTER APPLICATIONS	BCA	Kurukshetra University, Kurukshetra	60

टिप्पणी:

- क) बीबीए/बीसीए/बीएमएस पाठ्यक्रमों का अनुमोदन "जहां है, वहीं के आधार दिया जाता है। बीबीए/बीसीए/बीएमएस पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन के अधीन है।
- ख) अगले वर्ष से ईओए अभातशिप (एआईसीटीई) के मानदंडों के अनुसार जारी किया जाएगा, न कि 'जैसा है जहां है' के आधार पर।

राज्य सरकार की नीति के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को समायोजित करने के लिए अनुमोदित प्रवेश के अतिरिक्त 10% सीटों की अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी: *नोट: यह अनुमोदन इस पत्र के जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए वैध है, केवल संबंधित विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड (बीटीई)/तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड (बीटीईटी) (जैसा लागू हो) से संबद्धता प्राप्त करने और प्रवेश के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यदि संस्थान कारणों से चालू शैक्षणिक वर्ष में आरम्भ करने में असमर्थ है, तो संस्थान को अनुमोदन जारी रखने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र में अभातशिप (एआईसीटीई) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

संस्थान को विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड (बीटीई)/तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड (बीटीईटी) (जैसा लागू हो) प्रवेश प्राधिकरण आदि के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित संबद्ध

विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड (बीटीई)/तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड (बीटीईटी) (जैसा लागू हो) से आवश्यक संबद्धता/अनुमति प्राप्त करनी होगी। आवेदक सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था उपरोक्त पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने की सूचना अभातशिप (एआईसीटीई) को भेजेगी। यदि संस्थान इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी कारण से उपर्युक्त पाठ्यक्रम आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है, तो अनुमोदन अमान्य हो जाएगा और आवेदक सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था उस समय प्रचलित मानदंडों के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने के लिए अभातशिप (एआईसीटीई) को नया आवेदन करेगी।

सभी संस्थानों को निम्नलिखित सामान्य शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. प्रबंधन समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे, शिक्षण और अन्य सुविधाओं के विकास और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगा।
2. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड समय-समय पर परिषद द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार बनाए जाएंगे।
3. शिक्षण शुल्क (ट्यूशन) और अन्य शुल्क समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित समग्र मानदंडों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार लिया जाएगा। छात्राओं/छात्रों के अभिभावकों से किसी भी रूप में कोई सुविधा (कैपिटेशन) शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है, तो अधिसूचित विनियमों के अनुसार संस्थान के विरुद्ध उचित कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।
4. संस्थान का प्रबंधन, परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी पाठ्यक्रम को बंद नहीं करेगा, कोई नया पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं करेगा या सीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं करेगा।
5. किसी भी परिस्थिति में संस्थान द्वारा अनुमोदित क्षमता से अधिक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की सूचना परिषद को दी जाती है, तो संस्थान के विरुद्ध अधिसूचित विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
6. संस्थान को अभातशिप (एआईसीटीई) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए किसी अन्य भारतीय और/या विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कोई सहयोगात्मक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यदि परिषद को किसी उल्लंघन की सूचना दी जाती है, तो संस्थान के विरुद्ध अधिसूचित नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
7. संस्थान अभातशिप (एआईसीटीई) की पूर्व अनुमति/अनुमोदन के बिना अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किसी भी पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है, तो संस्थान के विरुद्ध अधिसूचित विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
8. संस्थान केवल अनुमोदित स्थान से ही काम करेगा, तथा संस्थान अभातशिप (एआईसीटीई) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीधे या किसी अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन के सहयोग से कोई भी परिसर से इतर (ऑफ कैम्पस) अध्ययन केंद्र/विस्तार केंद्र नहीं खोलेगा। ऐसा पाए जाने पर संस्थान के विरुद्ध अधिसूचित विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
9. संस्था के खातों का वार्षिक रूप से प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाएगा तथा वे परिषद् या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
10. विभागाध्यक्ष, शिक्षण एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति निश्चित समय सीमा में की जाएगी तथा चयन परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं, योग्यताओं एवं अनुभव के अनुसार किया जाएगा तथा वेतनमान अभातशिप (एआईसीटीई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार होंगे। संस्थान को शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने से पहले एक सूचना पुस्तिका प्रकाशित करनी होगी जिसमें संस्थान और संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों, ली जाने वाली फीस और संकाय सहित ढांचगत सुविधाओं आदि का विवरण अनिवार्य प्रकटीकरण के रूप में देना होगा। सूचना पुस्तिका तकनीकी शिक्षा के हितधारकों को उपलब्ध कराई जा सकती है। अभातशिप (एआईसीटीई) वेबसाइट/अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार अनिवार्य प्रकटीकरण सूचना मैनडेटरी डिस्कलोजर संस्थान की वेबसाइट पर डाली जाएगी। संस्थान के सभी पहलुओं के बारे में अद्यतन जानकारी के साथ सूचना को हर वर्ष संशोधित किया जाएगा।
11. संस्थान के लिए एक वेबसाइट का संचालन किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर निर्धारित जानकारी उपलब्ध होगी। वेबसाइट की जानकारी में जब भी बदलाव हो, उसे लगातार अद्यतन (अपडेट) किया जाना चाहिए।
12. अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) 2024-27 (अनुलग्नक-18, पृष्ठ 180) के अनिवार्य प्रकटीकरण के अनुसार, संस्थानों को परिषद को प्रस्तुत निम्नलिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रमुख स्थान पर प्रकट करना होगा।
 - I. परिषद द्वारा अनुमोदित अनुमोदित पाठ्यक्रमों और प्रवेश क्षमता के साथ-साथ बुनियादी ढांचे की विभागवार उपलब्धता।
 - II. संकाय विवरण: विभागवार: संकाय सदस्यों / शिक्षण कर्मचारियों का नाम और पदनाम, उनकी योग्यता, आपके संगठन में सेवा की अवधि, कुल अनुभव, संस्थान का छात्र संकाय अनुपात, कैडर अनुपात को भी प्रदर्शित करना चाहिए।
 - III. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
13. यदि संस्थान सूचना का प्रकटीकरण करने में विफल रहता है या सूचना को दबाता है और/या गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, तो संस्थान के विरुद्ध अधिसूचित विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
14. अभातशिप (एआईसीटीई) विशिष्ट शिकायतों की पुष्टि करने, अभातशिप (एआईसीटीई) के मानदंडों एवं मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने, तथा किसी गलत प्रस्तुति, मानदंडों एवं मानकों के उल्लंघन, कुप्रथाओं आदि की पुष्टि करने के लिए तिथियों की सूचना देकर या बिना सूचना दिए भी निरीक्षण कर सकता है।
15. परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर संस्थान स्वतः ही केन्द्र या राज्य सरकार से किसी अनुदान सहायता का दावेदार नहीं बन जाएगा।
16. यदि कोई छात्र/उम्मीदवार पाठ्यक्रम (कोर्स) शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लेता है, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को रिक्त सीट पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। छात्र से ली गई पूरी फीस, अधिकतम 1000/- (केवल एक हजार रुपये) प्रकरण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) की कटौती के बाद, संस्थान द्वारा कार्यक्रम (प्रोग्राम) से नाम वापस लेने वाले छात्र/उम्मीदवार को वापस कर दी जाएगी। संस्थान को प्रवेशित छात्रों को बनाए रखने के लिए स्कूल/संस्था छोड़ने के प्रमाण-पत्र को मूल रूप में रखने की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई छात्र किसी भी समय प्रवेश रद्द करता है, तो शेष अवधि के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।
17. संस्थान को अभातशिप (एआईसीटीई) विनियमन "तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालयों सहित तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों में रैंकिंग की रोकथाम और निषेध" विनियमन 2009 (एफ.सं. 373/कानूनी/अभातशिप (एआईसीटीई) /2009 दिनांक 01/07/2009) के आलोक में किसी भी रूप में रैंकिंग की रोकथाम के लिए उचित उपाय करने होंगे। संस्थानों द्वारा रैंकिंग की घटनाओं को रोकने में विफल रहने की स्थिति में, परिषद अधिसूचित विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी।
18. अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) 2024-27 (अध्याय VI) में दी गई सभी आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है।
19. अभातशिप (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित संस्थानों को निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का कुशलतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:
 - परख छात्र अंतर विश्लेषण पोर्टल आधारित सेवाएं।
 - प्रगति, सक्षम, स्वनाथ, एडीएफ आदि जैसी छात्र छात्रवृत्ति योजनाएं।
 - भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम।
 - अटल संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी): उभरते क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए संकाय प्रशिक्षण।
 - अनुसंधान परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग किए जाने को बढ़ााना (औरा)।
 - स्मार्ट इंडिया हैकार्थन: विश्व का सबसे बड़ा मूक्त (ओपन) नवप्रवर्तन मंच (इनोवेशन प्लेटफॉर्म)।

सरकार/ संस्थान के प्रबंधन को समय-समय पर परिषद द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों का भी सख्ती से अनुपालन करना होगा। यदि परिषद को उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन और/या परिषद के ध्यान में

निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुपालन न करना, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत करना इत्यादि आता है, तो वह अनुमोदन वापस ले सकती है।

नोट: यदि राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र में (यूटी)/तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई)/डीएमई के पास तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति है और यह निजी और स्व-वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों पर भी लागू है, तो राज्य सरकार/यूटी/डीटीई/डीएमई यह सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण लागू हो। हालाँकि, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगा।

प्रो. राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप (एआईसीटीई)

प्रतिलिपि:

1. तकनीकी शिक्षा निदेशक **, Haryana
2. पंजीयक **,
Kurukshetra University, Kurukshetra
3. प्रधानाचार्य/निदेशक,
SHRI GURU TEG BAHADUR JI GOVT COLLEGE TARAORI KARNAL
Shri Guru Teg Bahadur Ji Govt. College, Taraori , Karnal, Near Iti, Taraori, Karnal, , Karnal, Haryana 132116,
Taraori,Karnal,
Haryana,132116
4. गार्ड फ़ाइल, अभातशिप (अभातशिप (एआईसीटीई))

नोट: पाठ्यक्रम विवरण की वैधता की पुष्टि यहां पर की जा सकती है <http://www.aicte-india.org/>

*इस पत्र की प्रति डाक/ईमेल के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाएगी। तथापि, संबंधित सचिव, /राज्य/डीटीई/रजिस्ट्रार को आवंटित अधिकृत लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से पत्र डाउनलोड करने के लिए अभातशिप (एआईसीटीई) पोर्टल में प्रावधान किया गया है।

अस्वीकरण : यह मूल रूप से अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित पत्र मान्य होगा।